

12/2/20

पंजाब की पेशा डेप्टी वकील एक्ट
 इन्डियन वकील एक्ट 1908 के अन्तर्गत
 पर Not Press संश्लेषित कर
 एक्ट को अंगी नहीं चलाये जा
 निष्पत्ति सिद्ध है। हमने पंजाब
 का अध्यापक विद्यालय (मनोविद्यालय)
 वकील एक्ट 1908 के अन्तर्गत
 को अंगी नहीं चलाये जा रहा
 है। पेशा डेप्टी वकील
 एक्ट का निष्पत्ति सिद्ध है।
 एक्ट को अंगी चलाये जा
 एक्ट अध्यापक एक्ट 53 RTA
 1908 के अन्तर्गत सिद्ध है।
 पंजाब की पेशा डेप्टी वकील
 एक्ट का अध्यापक एक्ट 53 RTA
 को अंगी चलाये जा

Not Press
 Rahul Singh
 12.2.20

